

## कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 11 / 2022 / 2603

दिनांक : 13/06/2023

### —:आदेश:-

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारीगण को प्रथम नियुक्ति दिनांक से 09/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर इस कार्यालय द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति सह-प्रशासनिक समिति (चयनित वेतनमान/एसीपी) की प्राप्त अनुशंषा रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम सं. 04 में उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से वांछित एसीपी का लाभ एतद्वारा निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :-

क. सं.	कर्मचारी का नाम, पद व पदस्थापन न्यायालय का नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	कर्मचारीगण की प्रथम नियुक्ति दिनांक, पद विवरण	कर्मचारीगण की वांछित 09/18/27 की सेवा पूर्ण किये जाने की दिनांक	अन्य विवरण
01	02	03	04	05
1.	अश्वनी कुमार भूतियां स्टेनों ग्रेड-1 न्यायालय:-जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय	11.09.2003 स्टेनों ग्रेड-1	—	उक्त कर्मचारी की दिनांक 01.01.2018 से स्टेनों ग्रेड-1, के पद पर पदोन्नति होने पर नियमानुसार द्वितीय वित्तीय उन्नयन/वेतन स्थिरीकरण का लाभ प्राप्त हो चुका है, अतः वांछित 18 वर्षीय द्वितीय एसीपी का लाभ 11.09.2021 से देय नहीं है।
2.	मंजु महेन्द्रा स्टेनों ग्रेड-1 न्यायालय:- अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 02, जयपुर महानगर-द्वितीय	19.07.1995 स्टेनों ग्रेड-1	27वर्ष 19.07.2022	—
3.	अवधेश कुमार त्रिपाठी स्टेनों ग्रेड-1 न्यायालय:- महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 09, जयपुर महानगर-द्वितीय	14.08.2013 स्टेनों ग्रेड-1	09 वर्ष 14.08.2022	—
4.	दीनदयाल सोनी स्टेनों ग्रेड-1 न्यायालय:- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं0 06, जयपुर महानगर-द्वितीय	22.03.1995 स्टेनों ग्रेड-1	27 वर्ष 09-12-2022 (राज्य सरकार के परिपत्र के क्रम में)	कर्मचारी को वांछित 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ उनके द्वारा मा. रा.उ.न्यायलय, पीठ जयपुर में की गई एस.बी सिविल रिट् पीटिशन सं0 985/2020 अध्याधीन स्वीकृत किया गया हैं।
5.	नवल किशोर राव, शहरिस्तेदार ग्रेड-1 न्यायालय:-अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 04, जयपुर महानगर-1	18.12.2002 लिपिक ग्रेड-1	—	उक्त कर्मचारी की दिनांक 09.12.2019 (A/N) से शीडर / शेरिस्तेदार ग्रेड-1/ कार्यालय सहायक, के पद पर पदोन्नति होने पर नियमानुसार द्वितीय वित्तीय उन्नयन/वेतन स्थिरीकरण का लाभ प्राप्त हो चुका है, अतः वांछित 18 वर्षीय द्वितीय एसीपी का लाभ दिनांक 18.12.2020 से देय नहीं है।
6.	मोहित कुमार पथरिया, शीडर ग्रेड-1 न्यायालय:- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं0 04, जयपुर महानगर-1	11.09.2013 लिपिक ग्रेड-1	—	उक्त कर्मचारी की दिनांक 10.12.2019 से शीडर / शेरिस्तेदार ग्रेड-1/ लिपिक ग्रेड-1, के पद पर पदोन्नति होने पर नियमानुसार प्रथम वित्तीय उन्नयन/वेतन स्थिरीकरण का लाभ प्राप्त हो चुका है, अतः वांछित 09 वर्षीय प्रथम एसीपी का लाभ दिनांक 11.09.2022 से देय नहीं है।
7.	लता आडवानी, शहरिस्तेदार/शीडर ग्रेड-1/लिपिक ग्रेड-1 न्यायालय:- अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 21, जयपुर महानगर-1	05.01.1996 लिपिक ग्रेड-1	27वर्ष 05.01.2023	—

13.6.23  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जयपुर महानगर द्वितीय  
(13/06/23)

8.	गोविन्द नारायण पचौरी, शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I न्यायालय:- एन.आई. एक्ट क्रम सं0 14, जयपुर महानगर-II	13.09.2013 (A/N) लिपिक ग्रेड-III	—	उक्त कर्मचारी की दिनांक 30.06.2022 से रीडर / शेरिस्तेदार ग्रेड-III/ लिपिक ग्रेड-I, के पद पर पदोन्नति होने पर नियमानुसार प्रथम वित्तीय उन्नयन/वेतन स्थिरीकरण का लाभ प्राप्त हो चुका है, अतः वांछित 09 वर्षीय प्रथम एसीपी का लाभ दिनांक 14.09.2022 से देय नहीं है।
9.	पुरुषोत्तम लाल, शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I न्यायालय:- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं0 06, जयपुर महानगर-II	04.05.2013 लिपिक ग्रेड-III	—	उक्त कर्मचारी की दिनांक 01.01.2018 से रीडर / शेरिस्तेदार ग्रेड-III/ लिपिक ग्रेड-I, के पद पर पदोन्नति होने पर नियमानुसार प्रथम वित्तीय उन्नयन/वेतन स्थिरीकरण का लाभ प्राप्त हो चुका है, अतः वांछित 09 वर्षीय प्रथम एसीपी का लाभ दिनांक 04.05.2022 से देय नहीं है।
10.	तुषार शर्मा, लिपिक ग्रेड-III न्यायालय:- जिला न्यायालय जयपुर महानगर-II	15.06.2013 लिपिक ग्रेड-III	09वर्ष 15.06.2022	—
11.	राकेश कुमार बंसल, लिपिक ग्रेड-III न्यायालय:- अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 02, जयपुर महानगर-II	27.10.1998 लिपिक ग्रेड-III	18वर्ष 27.10.2018	कर्मचारी को वांछित 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ प्रथम नियमित नियुक्ति दिनांक 27.10.1998 के आधार पर दिनांक 27.10.2016 के स्थान पर ( पूर्व में परिनदिना के दण्ड के कारण व 01 वर्ष की एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी के कारण ) 02 वर्ष स्थगित करते हुए दिनांक 27.10.2018 से स्वीकृत किया जाता है।
12.	सरिता वर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- अति.सिविल न्याया. एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 03, जयपुर महानगर-II	02.09.2013 (A/N) च.श्रे.क	09वर्ष 03.09.2022	कर्मचारी को वांछित 09 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ प्रथम नियमित नियुक्ति दिनांक 02.09.2013 (मध्याह्न पश्चात्) के आधार पर दिनांक 03.09.2022 से स्वीकृत किया गया है।
13.	मोनिका गुर्जर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- विशिष्ट न्यायाधीश (पोस्को), क्रम सं0 02, जयपुर महानगर-II	01.10.2013 च.श्रे.क	09वर्ष 01.10.2022	—
14.	लक्ष्मीकांत शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- विशिष्ट न्यायाधीश, जयपुर बॉम्ब बलास्ट कैसज, जयपुर महानगर-II	04.09.2013 च.श्रे.क	09वर्ष 04.09.2022	—
15.	पूजा जाखड़, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- अति.सिविल न्याया. एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 17, जयपुर महानगर-II	24.09.2013 च.श्रे.क	09वर्ष 24.09.2022	—
16.	मुकेश कुमार शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 10, जयपुर महानगर-II	26.09.2013 च.श्रे.क	09वर्ष 26.09.2022	—
17.	ममता शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 10, जयपुर महानगर-II	24.09.2013 च.श्रे.क	09वर्ष 24.09.2022	—

sd/-  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जयपुर महानगर द्वितीय

18.	पिकी सोनी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 02, जयपुर महानगर-II	30.09.2013 च.श्रे.क	09वर्ष 30.09.2022	—
19.	राम किशोर मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- एन.आई. एकट क्रम सं0 11, जयपुर महानगर-II	16.03.1992 च.श्रे.क	18 वर्ष 16.03.2015 व 27 वर्ष 18.12.2020 (राज्य सरकार के परिपत्र के क्रम में)	1. कर्मचारी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् 03 से अधिक संतान होने के कारण 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ (तत्समय राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना /आदेशों/परिपत्रों के अनुसार) 05 वर्ष स्थगित करते हुए प्रथम नियुक्ति दि. 16.03.1992 से 18 वर्ष पूर्ण करने की दि. 16.03.2010 के स्थान पर दि. 16.03.2015 से स्वीकृत किया गया है। 2. कर्मचारी को तृतीय एसीपी का लाभ राज्य सरकार के परिपत्र दिनांकित 18.12.2020 के क्रम में नियुक्ति दिनांक 16.03.1992 के आधार पर 27 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने की दिनांक 16.03.2019 के स्थान पर उक्त परिपत्र जारी किये जाने की दिनांक 18.12.2020 से स्वीकृत किया गया है।
20	श्रवण लाल जाट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं0 06, जयपुर महानगर-II	01.10.2003 च.श्रे.क	18 वर्ष 01.10.2021	—
21	प्रेमस्वरूप शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:-अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 04, जयपुर महानगर-II	31.01.2003 च.श्रे.क	18 वर्ष 09-12-2022 (राज्य सरकार के परिपत्र के क्रम में)	कर्मचारी की प्रथम एसीपी की स्वीकृति दिनांक 31.01.2015 के आधार पर वांछित 18 वर्षीय द्वितीय एसीपी/चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 31.01.2024 के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.12.2022, से स्वीकृत किया गया है।
22	ममता मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 06, जयपुर महानगर-II	03.09.2013 (A/N) च.श्रे.क	09वर्ष 04.09.2022	कर्मचारी को वांछित 09 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ प्रथम नियमित नियुक्ति दिनांक 03.09.2013 (मध्याह्न पश्चात्) के आधार पर दिनांक 04.09.2022 से स्वीकृत किया गया है।
23	प्रेम कंवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 02, जयपुर महानगर-II	08.04.2010 च.श्रे.क	09वर्ष 08.04.2019	—
24	रघुवीर सिंह चौधरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- विशिष्ट न्यायाधीश (भ.नि.अ.), क्रम सं0 04, जयपुर	11.03.2013 च.श्रे.क	09वर्ष 11.03.2022	—
25	किरण विजय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, (पश्चिम), जयपुर महानगर-II	21.09.2013 च.श्रे.क	09वर्ष 21.09.2022	—
26	नरेन्द्र सिंह चौहान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- एन.आई. एकट क्रम सं0 08, जयपुर महानगर-II	24.09.2013 च.श्रे.क	09 वर्ष 24.09.2022	—
27	संतोष यादव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं0 10, जयपुर महानगर-II, चौमू	09.09.2013 (A/N) च.श्रे.क	09 वर्ष 10.09.2022	कर्मचारी को वांछित 09 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ प्रथम नियमित नियुक्ति दिनांक 09.09.2013 (मध्याह्न पश्चात्) के आधार पर दिनांक 10.09.2022 से स्वीकृत किया गया है।

Sd/

जयपुर महानगर विभाग

28	विनोद कुमार शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं0 10, जयपुर महानगर-आ चौमू	28.09.2013 च.श्रे.क	09 वर्ष 28.09.2022	—
29	हनुमान सहाय राजोरिया, शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I न्यायालय:-अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम सं0 10, जयपुर महानगर-आ	30.08.2013 लिपिक ग्रेड-II	—	कर्मचारी की दिनांक 12.12.2019 (A/N) से रीडर / शेरिस्तेदार ग्रेड-III/ लिपिक ग्रेड-I, के पद पर पदोन्नति होने पर नियमानुसार प्रथम वित्तीय उन्नयन/वेतन स्थिरीकरण का लाभ प्राप्त हो चुका है, अतः वांछित 09 वर्षीय प्रथम एसीपी का लाभ दिनांक 30.08.2022 से देय नहीं है।
30	आशीष गुप्ता, शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I न्यायालय:-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं0 08, जयपुर महानगर-आ	02.05.2013 लिपिक ग्रेड-II	—	उक्त कर्मचारी की दिनांक 01.01.2018 से रीडर / शेरिस्तेदार ग्रेड-III/ लिपिक ग्रेड-I, के पद पर पदोन्नति होने पर नियमानुसार प्रथम वित्तीय उन्नयन/ वेतन स्थिरीकरण का लाभ प्राप्त हो चुका है, अतः वांछित 09 वर्षीय प्रथम एसीपी का लाभ दिनांक 02.05.2022 से देय नहीं है।
31	पवन कुमावत, शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I न्यायालय:-महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 05, जयपुर महानगर-आ	03.05.2013 लिपिक ग्रेड-II	—	उक्त कर्मचारी की दिनांक 01.01.2018 से रीडर / शेरिस्तेदार ग्रेड-III/ लिपिक ग्रेड-I, के पद पर पदोन्नति होने पर नियमानुसार प्रथम वित्तीय उन्नयन/वेतन स्थिरीकरण का लाभ प्राप्त हो चुका है, अतः वांछित 09 वर्षीय प्रथम एसीपी का लाभ दिनांक 03.05.2022 से देय नहीं है।
32	अनिमेष शर्मा, शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/ लिपिक ग्रेड-I न्यायालय:-महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 04, जयपुर महानगर-आ	05.05.2003 (A/N) लिपिक ग्रेड-II	—	कर्मचारी की वर्ष 2017-18, 2020-21 व 2021-22 की एसीआर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः श्री अनिमेष शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार शेष रही पिछले 03 वर्षों की एसीआर नियमानुसार पूर्ति कर इस कार्यालय को उपलब्ध करवाये। उक्त एसीआर प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण समिति के समक्ष पुनः रखा जावें।
33	कैलाश चन्द बैरवा, शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/ लिपिक ग्रेड-I न्यायालय:-महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 25, जयपुर महानगर-आ	04.04.2005 लिपिक ग्रेड-II	18 वर्ष 04.04.2023	—
34	सरोज चौधरी, शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/ लिपिक ग्रेड-I न्यायालय:-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं0 04, जयपुर महानगर-आ	07.04.2005 लिपिक ग्रेड-II	18 वर्ष 07.04.2023	—
35	प्रदीप कुमार शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 06, जयपुर महानगर-आ	01.07.2013 च.श्रे.क	09 वर्ष 01.07.2022	—
36	सुरेन्द्र सिंह चौहान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं0 05, जयपुर महानगर-आ	27.09.2013 (A/N) च.श्रे.क	09 वर्ष 28.09.2022	कर्मचारी को वांछित 09 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ प्रथम नियमित नियुक्ति दिनांक 27.09.2013 (मध्याह्न पश्चात्) के आधार पर दिनांक 28.09.2022 से स्वीकृत किया गया है।
37	महेन्द्र कुमार वर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-आ	13.08.2013 च.श्रे.क	09 वर्ष 13.08.2022	—

sd/-  
जयपुर महानगर न्यायाधीश  
जयपुर महानगर द्वितीय

38	नीता वाजपेयी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम सं0 11, जयपुर महानगर-आ	21.09.2013 च.श्रे.क	09 वर्ष 21.09.2022	कर्मचारी का दिनांक 01.06.2016 से 17.03.2017 तक की सेवा का सत्यापन नहीं होना पाया गया है। अतः उक्त अवधि का सेवा सत्यापन <u>सेवारोल में</u> <u>आवश्यक रूप से करवाया जाकर सूचना</u> <u>इस कार्यालय को प्रेषित की जावे।</u>
39	विजय लक्ष्मी मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- एन.आई. एक्ट क्रम सं0 04, जयपुर महानगर-आ	23.09.2013 च.श्रे.क	09 वर्ष 23.09.2022	-
40	कंचन कंवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- अति.सिविल न्याया. एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 08, जयपुर महानगर-आ	02.09.2013 च.श्रे.क	09 वर्ष 02.09.2022	-
41	आशीष जैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 05, जयपुर महानगर-आ	03.09.2013 च.श्रे.क	09 वर्ष 03.09.2022	-
42	रघुवीर सिंह, तामील कुनिन्दा न्यायालय:- जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-आ	13.09.1999 च.श्रे.क	18 वर्ष <b>18-12-2020</b> (राज्य सरकार के परिपत्र के क्रम में)	कर्मचारी की पूर्व में प्रथम एसीपी की देय दिनांक 07.03.2015 निर्धारित की गई हैं, जिसके आधार पर कर्मचारी को वांछित 18 वर्षीय द्वितीय एसीपी/चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 07.03.2024 के स्थान पर राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 18.12.2020 से स्वीकृत किया गया है।
43	सुरेन्द्र वर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं0 04, जयपुर महानगर-आ	29.06.2013 (A/N) च.श्रे.क	09 वर्ष 30.06.2022	कर्मचारी को वांछित 09 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ प्रथम नियमित नियुक्ति दिनांक 29.06.2013 (मध्याह्न पश्चात्) के आधार पर दिनांक 30.06.2022 से स्वीकृत किया गया है।
44	ओमप्रकाश बुनकर, लिपिक ग्रेड-आ न्यायालय:- अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 10, जयपुर महानगर-आ (चौमू)	18.09.2003 च.श्रे.क. 06.03.2017 A/N लिपिक ग्रेड-आ	-	कर्मचारी के तीसरी संतान का जन्म दिनांक 20.01.2002 को हुआ है, जिसका जन्म प्रमाण-पत्र अपेक्षित है। उक्त जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण पुनः समिति कि समक्ष रखा जावे।
45	सोनाली सिसोदिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय:- महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 18, जयपुर महानगर-आ (मुख्यालय आमेर)	09.09.2013 च.श्रे.क.	09 वर्ष 09.09.2022	-

**नोट:-**

- उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका/सेवारोल में किया जावे।
- उपरोक्त आदेश के तहत जिन कर्मचारीगण को वांछित चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. का लाभ स्वीकृत किया गया है, उनके वेतन स्थिरीकरण संबंधी आदेश इस कार्यालय द्वारा पृथक् से जारी किए जावेंगे।

5d/-  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जयपुर महानगर-द्वितीय

